न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **31/2024** अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खंगारराम पुत्र नारणाराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सांगाराम पुत्र नारणाराम 2. जोगाराम पुत्र नारणाराम 3. देवाराम पुत्र नारणाराम 4. ठाकराराम पुत्र नारणाराम जाति जाट, निवासी माताजी की भाखरी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 25.08.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा माताजी की भाखरी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1195/801 रकबा 6.7663 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उनके माता/पिता के फौत होने पर विरासत मे प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 4 क्रेता खातेदार है। वादी की बहिन नोजीदेवी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को जरिये हकतर्क हस्तांतरण कर दिया गया, जिसका राजस्व रेकर्ड मे विरासत का नामांतरकरण खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान् के खातेदारी हिस्से उनके वास्तविक हिस्सानुसार नहीं दर्ज कर लिपिकीय भूल से गलत दर्ज कर दिये गये। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का अपने पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त खातेदारी हिस्सा 1/5 व अपनी माता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त खातेदारी हिस्सा 1/25 अर्थात कुल खातेदारी हिस्सा 6/25 बनता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के कुल खातेदारी हिस्सा 6/25 में से 08.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को बैचान करने पर शेष खातेदारी हिस्सा 254/5225 बनता है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का विरासत में प्राप्त खातेदारी हिस्सा तथा अपनी सगी बहन नोजीदेवी से जरिये हकतर्क प्राप्त हिस्सा मिलाकर कुल 13/50–13/50 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का क्रयशुदा 40/209 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। पक्षकार मौके पर इसी हिस्सा मुजब अनुसार काबिज काश्त है तथा हिस्सों को लेकर खातेदारान् के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उक्त खातेदारी हिस्सों का गलत अंकन केवल लिपिकीय भूल से हुआ है। वर्तमान में जब वादी द्वारा हल्का पटवारी से नकले प्राप्त की तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि राजस्व रेकर्ड मे पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज हो गये है, जिसकी सही खातेदारी घोषणा माननीय न्यायालय के आदेश से की जा सकेगी। अतः वादी द्वारा उक्त वाद विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत खातेदारी हिस्सा के स्थान पर सही खातेदारी घोषणा करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादपत्र अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:43 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी मौजा माताजी की भाखरी के खसरा नम्बर 1195/801 रकबा 6.7663 हैक्टेयर में वादी का 6/25 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 254/5225 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 13/50 – 13/50 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 के 40/209 खातेदारी हिस्सा की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

3 के अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार खातेदारी हिस्सा की घोषणा किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत खातेदारी हिस्से दर्ज होने से सही खातेदारी हिस्सों की घोषणा का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर सही खातेदारी हिस्सा की घोषणा किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हिस्से गलत दर्ज होने से सही खातेदारी हिस्सों की घोषणा की जाकर अमलदरामद किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसका वादी अधिकारी है। अतः उक्त स्थिति में वादी विवादित आराजी के खसरा नम्बर 1195/801 रकबा 6.7663 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड मे सही खातेदारी घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा माताजी की भाखरी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1195/801 रकबा 6.7663 हैक्टेयर भूमि में वादी का 6/25 खातेदारी हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 254/5225 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक का 13/50 – 13/50 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 40/209 खातेदारी हिस्सा होने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:53:43 IST
Reason: SelfAttested